

प्रपत्र-2.1

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान :- भारत सरकार की " भारत-नेट/नोफन परियोजना " के अंतर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे-किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु संरक्षित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

उत्तराखंड

ii) जिला

नैनीताल

iii) वन प्रभाग

रामनगर वन प्रभाग

iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन

भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

v) वन की कानूनी स्थिति

vi) हरियाली का घनत्व

vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की

परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं

कोई नहीं

के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी

संलग्न किए जाए

viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन

कोई नहीं

शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की

वन की सीमा से अनुमानित दूरी

x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य
जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर
आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और
प्रमुख वन्य जीव वाहन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)

xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ
प्राणी / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातिगों पाई जाती है
यदि हां / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।

मुख्य मार्ग के किनारे होने के कारण
प्रस्तावित स्थल में कोई वनस्पति
प्रभावित नहीं है।

xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल /
रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक
क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा
सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ
यदि अपेक्षित हो, या

नहीं।

8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित
वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य
और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों
के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

वन भूमि की न्यूनतम आवश्यकता है।

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया
है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी
अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का
ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह
रहे हैं।

नहीं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित
वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या,
प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

लागू नहीं।

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित
वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

लागू नहीं।

iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।

लागू नहीं।

iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

लागू नहीं।

v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभিনিर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

लागू नहीं।

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल
जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

→ 679400.00 ₹

i. जिला का वन क्षेत्र।

→ 402040.00 ₹

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

→ 9568.87 ₹

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

..... तक प्रतिपूरक वनीकरण

में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

→ 7902.68 ₹

(ख) वनेत्तर भूमि पर

→ 499.2 ₹

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेनेके सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक 27.09.2021

स्थान 21/9/21

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

प्रभागीय वन अधिकारी

रामनगर वन प्रभाग रामनगर